बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

आदेश।

पटना, दिनांक 16/07/2026

संचिका संख्या–13/मु० 09–53/2026....639./माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका संख्या–8101/2026 में दिनांक 18.06.2026 को निम्नांकित निदेश दिया गया है :–

" Heard the learned counsel for the petitioners and the learned counsel appearing on behalf of the State.

2. The learned counsel appearing on behalf of the State prays for and is granted four weeks' time for filing counter affidavit in the matter.

3. The learned counsel appearing on behalf of the petitioners submit that similarly situated employees, whose writ petition was disposed of vide order dated 08.09.2025 passed in CWJC No. 12545 of 2025, have already been issued appointment letter vide memo no. 265 dated 11.03.2026, issued under the signature of the Director, Mass Education, Government of Bihar, Patna.

4. The learned counsel for the State will file the counter affidavit stating therein that if benefit has been granted to the similarly situated employees by the said memo dated 11.03.2026, then why the same benefit has not been accorded to the petitioners....."

पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिका संख्या–8101/2026 के याचिकाकर्त्ताओं के समायोजन संबंधी दावो की विस्तृत समिक्षा की गई, जिसमें निम्नांकित तथ्य परिलक्षित हुए है :–

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-1489/2011 में दिनांक 11.08.2015 को पारित आदेश एवं इस आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP No.-32079/2015 में दिनांक 26.02.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। SLP No.-32079/2015 में दिनांक 26.02.2016 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :– The relief granted by the High Court shall be restricted to those who approached the High Court who were heard as well as who wanted to get themselves impleaded and those who have filed applications here at par with those former as well as all those petitioner Instructors which are pending as on date before the High Court <u>but shall not apply to any fresh case either here or before the High Court.</u> Pending applications, if any, stand disposed of.

उपर्युक्त पारित आदेश के आलोक में अनुदेशक के रूप में समायोजन के लिए संबंधित अनुदेशक को निम्नांकित 02 शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है :–

1. समायोजन के लिए संबंधित अनुदेशक को दिनांक 26.02.2016 तक माननीय न्यायालय में कोई वाद By Name दायर करने का प्रमाण देना है।
2. अनुदेशक के रूप में लगातार 03 वर्षों तक कार्य करने का प्रमाण देना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा SLP No-32079/2015 में दिनांक 26.02.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करने वाले अनुदेशकों की वास्तविक संख्या एवं पहचान स्थापित करने के लिए आदेश संख्या 934 दिनांक 14.04.2016 के

Vidya

द्वारा राज्य के सभी जिलों में जिलास्तरीय कमिटी का गठन करते हुये सभी संबंधित अनुदेशकों को अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। इस आशय की सूचना दिनांक 21.04.2016 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सर्वसाधारण को दी गई।

उपरोक्त के क्रम में माननीय उच्च न्यायलय, पटना के डिवीजन बेंच के द्वारा सिविल रिव्यू संख्या 344/2016 में दिनांक 10.08.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में समायोजन की शर्त्तों को संशोधित करते हुये नये सिरे से सभी संबंधितों को अपने जिले के जिला कमिटी के समक्ष आवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आवेदन केवल वैसे अनुदेशकों को समर्पित करना था, जो किन्हीं कारणों से दिनांक 16.05.2016 तक निर्धारित अवधि में अपना आवेदन जिला कमिटी के समक्ष समर्पित नहीं कर पाये थे। इस आशय की सूचना दिनांक 30.09.2016 एवं 04.10.2016 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सर्वसाधारण को दी गई।

उपरोक्त दो अवसरों के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से अवमाननावाद संख्या 54/2013 में दिनांक 22.08.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में समायोजन से वंचित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को अपने जिले के जिला कमिटी के समक्ष आपत्ति/दावा समर्पित करने अंतिम अवसर देते हुये अपना दावा/आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। इस आशय की सूचना दिनांक 05.09.2019 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सर्वसाधारण को दी गई थी, जिसमें सभी संबंधितों को दिनांक 09.10.2019 तक निश्चित रुप से आवेदन समर्पित करने का आदेश था। संदर्भित समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किये जाने का स्पष्ट संसूचन उक्त विज्ञापन में स्पष्टतः अंकित था। परंतु याचिकाकर्त्ता के द्वारा कोई आवेदन/दावा जिला कमिटी, वैशाली के समक्ष समर्पित नही किया गया।

स्पष्ट है कि जिला कमिटी के समक्ष आवेदन/दावा समर्पित करने हेतु याचिकाकर्त्ता को वर्ष 2016 से 2019 के बीच कुल 03 अवसर प्रदान किये गये। परंतु याचिकाकर्त्ता के द्वारा मात्र वर्ष 2016 में एक बार अपना आवेदन/दावा जिला कमिटी, वैशाली के समक्ष समर्पित किया गया। इस संबंध में प्रस्तुत याचिका में जिला कार्यालय, वैशाली के स्तर से दायर प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्त्ता समायोजन हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मानको का पूर्ण एवं स्पष्ट पालन नहीं करते और इसी कारण से जिला कमिटी, वैशाली के स्तर से प्रस्तुत वाद की याचिकाकर्त्ता को समायोजित किये जाने पर अनुशंसा अद्यतन प्रेषित नहीं कि गई है। फलतः इस वाद के याचिकाकर्त्ता के समायोजन पर विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है।

विदित हो कि समायोजन के लिये संबंधित अनुदेशक को दिनांक 26.02.2016 तक माननीय न्यायालय में वाद दायर कर याचिकाकर्त्ता बनना अनिवार्य था। परन्तु प्रस्तुत वाद के याचिकाकर्त्ता ऐसा नहीं कर पाये। प्रस्तुत वाद के याचिकाकर्त्ता के द्वारा पूर्व में दिनांक 26.02.2016 के बाद माननीय उच्च न्यायालय CWJC No.-270/2017 दायर किया गया था, जिसे दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश से निष्पादित करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को वांछित लाभ की प्राप्ति हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के समक्ष आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-270/2017 में दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में निर्णय हेतु याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के समक्ष

Vian

आवेदन समर्पित किया गया। परंतु संभवतः अनुदेशक समायोजन निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार ना होने के कारण निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के स्तर से अभ्यावेदन पर कोई निर्णय संसूचित नहीं किया गया है। स्पष्टतः याचिकाकर्त्ता के स्तर से समायोजन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक—26.02.2016 तक माननीय न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। अतएव इस कारण से संबंधित याचिकाकर्त्ता समायोजन किये जाने के पात्र नहीं है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिवीजन बेंच द्वारा MJC No-809/2012 में दिनांक 23.07.2018 को पारित विस्तृत आदेश में भी यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 26.02.2016 के बाद याचिका दायर करने वाले अनुदेशकों को समायोजन का लाभ देय नहीं है तथा समायोजन हेतु दायर किये जाने वाले वादों में सर्वप्रथम वादी को यह प्रमाण देना चाहिए कि उसके द्वारा दिनांक 26.02.2016 तक माननीय न्यायालय में समायोजन हेतु याचिका दायर किया गया था।

MJC No- 809/2012 में दिनांक 23.07.2018 को पारित आदेश की कंडिका—28 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिवीजन बेंच ने निम्नाकिंत निदेश दिया है:—We have already quoted the relevant parts of the judgments and order of this Court and that of the Hon'ble Supreme Court of India, hereinabove which will be the guiding factor for the learned Writ Court. The learned Writ Court shall consider the individual writ applications where the petitioner(s) would be first obliged to demonstrate that he/they had earlier moved this Court or the Hon'ble Supreme Court of India on or before the cut off date. Once this condition is satisfied, the learned Writ Court may in such cases where the claim of the individual has not been considered by the respondent, proceed with the contempt application but where considerations have been given by the respondents but the individual claim of the petitioner has been rejected for any reason whatsoever, the reasons so prescribed would be required to be tested by the learned Writ Court on the basis of the pleadings and submissions in accordance with law.

So far as the various Associations and Unions are concerned, they cannot allege willful disobedience or violation of the order of the learned Writ Court as respect the persons whose names were not disclosed by those Associations or Unions either before this Court or before Hon'ble Supreme Court of India by the cut off date.

MJC No-809/2012 में दिनांक 23.07.2018 को कतिपय अनुदेशक एवं संघ के द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP No-26469/2018 दायर कर चुनौती दी गई थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 08.10.2018 को पारित आदेश से खारिज कर दिया। इस प्रकार एक बार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजन के लिये दिनांक 26.02.2016 तक याचिका दायर करने संबंधी शर्त्त को यथावत् रखा है। सदृश्य विषय से संबंधित SLP No- D 25804/2017 बिहार राज्य बनाम मीरा कुमारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2021 को पारित आदेश से विभाग के पक्ष में आदेशित करते हुए सभी अनुदेशकों को एक समान लाभ अनुमान्य करने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से MJC No.-3765/2016 मीरा कुमारी बनाम बिहार राज्य में दिनांक 25.01.2017 को पारित आदेश को खारीज कर दिया गया है। तदालोक में याचिका संख्या—8101/2026 के याचिकाकर्त्ताओं को समायोजन का लाभ देय नहीं है।

Vian

जहाँ तक CWJC No.-12545/2025 जितेन्द्र राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–08.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित 03 याचिकाकर्त्ताओं में से योग्य 02 याचिकाकर्त्ता को समायोजित किये जाने के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी के पत्रांक–265 दिनांक–11.03.2026 से निर्गत अनुशंसा का प्रश्न है, तो यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित याचिकाकर्त्ता के स्तर से पूर्व में दिनांक–26.02.2016 तक माननीय न्यायालय में याचिका दायर किया जा चुका था। साथ ही संबंधित अनुदेशकों को समायोजित किये जाने के संदर्भ में जिलास्तरीय कमिटि, शिवहर से स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त थी। जबकि प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्त्ता समायोजन हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन नहीं करते है और ना ही इन्हें समायोजित किये जाने के संदर्भ में जिलास्तरीय कमिटि, वैशाली के स्तर से अद्यतन कोई अनुशंसा प्राप्त है। अतएव प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्त्ता का यह दावा की उनका मामला CWJC No.-12545/2025 में दिनांक–08.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में पत्रांक–265 दिनांक–11.03.2026 से निर्गत समायोजन की अनुशंसा के सदृश्य है, पूर्णतः अनुचित, अमान्य एवं भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन मात्र है।

स्पष्टतः याचिका संख्या–8101/2026 दायर करने वाले याचिकाकर्त्ता अनुदेशकों का मामला दिनांक 26.02.2016 के बाद समायोजन हेतु याचिका दायर करने वाले अनुदेशकों के समान ही है तथा इन्हें समायोजित किये जाने पर वैशाली जिला कमिटी से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं है। अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP No.-32079/2015 में दिनांक 26.02.2016 एवं SLP No.-D 25804/2017 में दिनांक 02.12.2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिविजन बेंच के द्वारा MJC No.-809/2012 में दिनांक 23.07.2018 को पारित आदेश के आलोक में याचिका संख्या–8101/2026 के याचिकाकर्त्ता को समायोजन का लाभ देय नहीं है। तदानुसार याचिका संख्या–8101/2026 में दिनांक 18.06.2026 को पारित आदेश के आलोक में वाद के सभी याचिकाकर्त्ताओं के समायोजन का दावा एतद् द्वारा अस्वीकृत/खारिज करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

Vijay 16/7/26

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक– 639 / पटना, दिनांक– 16/07/2026 /

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

Vijay 16/7/26

अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक– 639 /

पटना, दिनांक– 16/07/2026

प्रतिलिपिः– 1. Shankar kumar Singh, Muzaffarpur, Malahi, Po-Hansi Kewal PS-Bhagwanpur, Dist- Vaishali 2. Sudhir Kumar, Resident of Village-Muzaffarpur, Malahi, P.O-Hansi Kewal, P.S-Bhagwanpur, Distt.- Vaishali 3. Barajkishore Singh, Resident of Village-Muzaffarpur Malahi, P.O- Hansi Kewal, P.S-Bhagwanpur, Distt.- Vaishali 4. Nagendra Mahto Resident of Village- Hansi Malahi, P.O-Hansi Kewal, P.S-Bhagwanpur, Distt.-Vaishali 5. Dharmendra Kumar, Resident of Village- Muzaffarpur, Malahi, P.O-Hansi Kewal, P.S-Bhagwanpur, Distt.- Vaishali 6. Shambhu Pandey, Resident of Village and P.O-Hansi Kewal, P.S-Bhagwanpur, Distt.- Vaishali एवं 7. Chandeshwar Ray, Resident of Village and P.O- Hansi Kewal, P.S-Bhagwanpur, Distt.-Vaishali को सूचनार्थ प्रेषित।

Vijay 16/7/26

अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।